राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प 7(51)परि/नियम/मु./2009/13148 जयपुर, दिनांकः 20/6/18

कार्यालय आदेश सख्या 20/2018

विषयः– परिवहन श्रेणी यान के ड्राईविंग लाईसेंस एवं परिचालक लाईसेंस हेतु चरित्र एवं पूर्ववत (character & Antecedents) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने बाबत्।

कार्यालय आदेश संख्या 04/2013 के अनुसार अगर कोई अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी को परिवहन यान प्राधिकार/परिचालक के लाईसेंस हेतु अधिकृत करने बाबत् आवेदन करता है और अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसे आवेदन किया जाता है वह आवदेक के बारे में संतुष्ट हो जाता है कि वह मोटर यान अधिनियम और उसके अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित सभी शर्तो को पूरा करता है तो अब तक आवेदक के चरित्र एवं पूर्ववत (character & Antecedents)की संतुष्टि हेतु आवेदक के निवास से संबंधित पुलिस थाने द्वारा जारी पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को निर्देशित किया जाकर आवश्यक रूप से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने हेतु सभी अनुज्ञप्ति अधिकारी को इस आदेश द्वारा निर्देशित कर रखा था।

आम आवेदकों के समक्ष आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु विभागीय आदेश 04/2013 में प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक के चरित्र एवं पूर्ववत (character & Antecedents)की संतुष्टि हेतु आवेदक के निवास से संबंधित पुलिस थाने द्वारा जारी पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करने की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः प 7(51)परि/नियम/मु./2009/13149-52 जयपुर, दिनांकः 20/6/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)